संख्याः-104/2018/3401/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2018

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-272/Maint/18 दिनांक 27.08.2018 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कक्षों के अवशेष कार्यों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि शासनादेश संख्या-34/सोलह-1-2017-9(बजट-6)/2016 दिनांक 03-01-2017 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु रू0 1089.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 435.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कक्षों के अवशेष कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अनुदान संख्या-47 से रू0 348.72 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 87.18 लाख अर्थात कुल रू0 435.90 लाख (रू0 चार करोड़ पैंतीस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टि, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि वित्त हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(4) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(7) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

(8) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

2...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विशेष सचिव
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

(9) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(11) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से रू0 348.72 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रू 87.18 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस 2018/231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0पा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या:-104/2018/3401(1)/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(6) परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
(8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(10) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

300 कुल सचिव हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर

संख्या-09/2019/767/सोलह-1-2019-9(बजट-3)/2018

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2019

विषयः- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-584/मैटेन/2019 दिनांक 25.01.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढी करण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत अवमुक्त धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू 1990.00 लाख (केन्द्रांश रू 1340.00 लाख एवं राज्यांश रू 650.00 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढीकरण/विस्तार हेतु अनुदान संख्या-47 से रू 248.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू 62.00 लाख अर्थात् कुल रू 310.00 लाख (रूपये तीन करोड दस लाख मात्र) की धनराशि केन्द्रांश के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(8) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

(9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(10) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रश्नगत आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत आगणन/लागत का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाने, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियो का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि में से रू 248.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं०-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य एवं रू 62.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं०-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण(के60/रा40-के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस 2018/231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजैन)
विशेष सचिव

संख्या-09/2019/767/सोलह-1-2019-9(बजट-3)/2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(6) जिलाधिकारी, कानपुर।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(9) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
(10) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
(11) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
(12) श्री पी0सी0 जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (मुख्यालय), कानपुर।
(13) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(14) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(15) प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
(16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।